



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग-3), शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)



क्रमांक: एफ 40(73)ग्रावि/नरेगा/Convergence IWMP/2014 जयपुर, दिनांक : 28/10/22

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर, समस्त।


3361


विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजना के जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग की योजनाओं के साथ अभिसरण (Convergence) बाबत दिशा-निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा परियोजना क्षेत्र में पशुधन विकास सम्बन्धी कार्य करवाये जाते हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्यों के तहत पात्र लाभार्थी को कैटलशेड निर्माण का कार्य अनुमत कार्यों की श्रेणी में आता है।

जलग्रहण परियोजना क्षेत्र में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ हेतु पात्र लाभार्थी परिवारों के कैटल शेड निर्माण का कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजना से किया जायेगा, जिस हेतु कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत रहेगी तथा इन परिवारों को उत्पादन गतिविधि अन्तर्गत चारा कुट्टी मशीन, मेंजर आदि जलग्रहण विकास परियोजना मद से दिये जायेंगे।


जो कार्य जिस योजनान्तर्गत सम्पादित किये जाने हैं, उनके लिए सम्बन्धित योजनाओं के दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं विभागीय योजनाओं के कार्यों का दोहराव (Duplication) नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जावेगा।


(शिवांगी स्वर्णकार)
आयुक्त, ईजीएस


(रश्मि गुप्ता)
निदेशक, जलग्रहण विकास एवं
भू-संरक्षण विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
4. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर (dir.wdsc@rajasthan.gov.in)।
5. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
6. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
7. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
8. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस।
9. अति. आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस।
10. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
- ~~11.~~ अधीक्षण अभियंता पदेन परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद समस्त।
12. अधीक्षण अभियंता, ईजीएस।
13. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस मुख्यालय, समस्त।
14. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त।
- ~~15.~~ प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षण अभियंता, ईजीएस